



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519]  
No. 519]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2004/ज्येष्ठ 19, 1926  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2004/JYAISTHA 19, 1926

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 2004

**का.आ. 672(अ).**—विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 39 की उपधारा (1) का प्रथम परंतुक यह उपबंध करता है कि राज्य पारेषण उपयोगिता विद्युत में व्यापार के कारबार में नहीं लगेगी;

और अधिनियम की धारा 172 का खंड (ख) यह उपबंध करता है कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 और विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् निरसित विधियां कहा गया है) के उपबंधों के अधीन अनुदत्त सभी अनुज्ञप्तियाँ, प्राधिकार, अनुमोदन, समाशोधन और अनुज्ञाएं नियत तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या ऐसी पूर्वतर अवधि के लिए, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, प्रवर्तन में बनी रहेंगी मानो निरसित विधियाँ प्रवृत्त रही हों;

और निरसित विधियाँ तथा अधिनियम की अधिसूचित विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के माध्यम से प्रभावी परिणामिक संशोधनों के अधीन, राज्य पारेषण उपयोगिताओं को विद्युत के क्रय और विक्रय के क्रियाकलाप में लगने का प्राधिकार है;

और अधिनियम की धारा 172 के खंड (ख) के उपबंध के अनुसार जिसके लिए अधिनियम के लिए नियत तारीख 10 जून, 2003 है, विद्युत के क्रय और विक्रय के क्रियाकलाप में लगने के लिए राज्य पारेषण उपयोगिताओं का प्राधिकार 9 जून, 2004 तक निरंतर प्रवर्तित रह सकता है जिसके पश्चात् अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के उपबंध के अनुसार राज्य पारेषण उपयोगिताओं को विद्युत में व्यापार करने, अर्थात्, विद्युत के क्रय और पुनः विक्रय के क्रियाकलाप से, स्वयं को संलग्न नहीं होना है;

और उड़ीसा तथा कर्नाटक राज्यों ने 9 जून, 2004 तक अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध को प्रभावी करने में कठिनाई व्यक्त की है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 183 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश करती है और ऐसे राज्य पारेषण उपयोगिताओं को 10 जून, 2004 से ही एक वर्ष की और अवधि के लिए वितरण कंपनियों को विद्युत के थोक क्रय और विक्रय के क्रियाकलाप में लगे रहने के लिए प्राधिकृत करती है जिनके पास निरसित विधियों के उपबंधों के अधीन प्राधिकार है।

[फा. सं. 23/18/2004-आर एंड आर]

गिरीश भा. प्रधान, संयुक्त सचिव



**MINISTRY OF POWER****ORDER**

New Delhi, the 9th June, 2004

**S.O. 672(E).**—Whereas the first proviso to sub-section (1) of Section 39 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) (hereinafter referred to as the Act) provides that the State Transmission Utility shall not engage in the business of trading in electricity;

And whereas clause (b) of Section 172 of the Act provides that all licences, authorisations, approvals, clearances and permission granted under the provisions of the Indian Electricity Act, 1910, the Electricity (Supply) Act, 1948 and the Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 (hereinafter referred to as the repealed laws) may, for a period not exceeding one year from the appointed date or such earlier period, as may be notified by the Appropriate Government, continue to operate as if the repealed laws were in force;

And whereas under the repealed laws and consequent amendments effected through the enactments specified in the Schedule to the Act, the State Transmission Utilities have the authorization to engage in the activity of purchase and sale of electricity;

And whereas 10th June, 2003 being the appointed date for the Act, in terms of the provision of clause (b) of Section 172 of the Act, the authorizations of the State Transmission Utilities to engage in the activity of purchase and sale of electricity can continue to operate till 9th June, 2004 after which as per provision of first proviso to sub-section (1) of Section 39 of the Act, the State Transmission Utilities have to disengage themselves from trading in electricity, that is, from the activity of purchase and resale of electricity;

And whereas States of Orissa and Karnataka have expressed difficulties in giving effect to the provision contained in the first proviso to sub-section (1) of Section 39 of the Act by 9th June, 2004;

Now therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 183 of the Act hereby makes this order and authorises the State Transmission Utilities having authorization under the provisions of the repealed laws, to engage in the activity of bulk purchase and sale of electricity to distribution companies for a further period of one year on and from the 10th day of June, 2004.

[F. No. 23/18/2004-R&R]

GIREESH B. PRADHAN, Jt. Secy.